

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1968 / 2013 / अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट-तृतीय, प्रतिकरापवचन, भिवाडी

बनाम

मैसर्स सेन्चुरी मेटल रिसाईकिलंग प्रा.लि.
टपूकडा

अपीलार्थी

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थितः

श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक
श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक
निर्णय दिनांक 28.10.2015

अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, प्रतिकरापवचन, भिवाडी (जिसे आगे “कर निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा यह अपील अपीलार्थी प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 168/आरवैट/2012-13/उपा/अपील्य/अलवर में पारित आदेश दिनांक 27.06.2013 के विरुद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 65,016/- को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 11.08.2012 को वाहन संख्या आर.जे.02जी-7296 को भिवाडी में रोक कर चेक किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में एम एस स्क्रेप टपूकडा से पलवल, हरियाणा के लिए परिवहनित किया जाना पाया गया। वहनित माल के सम्बन्ध दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने जी आर नम्बर 183 दिनांक 11.08.2012, वैट इनवायस नम्बर सीएमआरबी/3924 दिनांक 11.08.2012, घोषणा पत्र वैट-49 नम्बर-5888941 तथा हरियाणा सरकार इन्वार्ड चालान नम्बर-2461004 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। उक्त दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने आयरन स्क्रेप टपूकडा का विक्रय मैसर्स संजीवनी नॉन फरेस ट्रेडिंग प्रा.लि., पलवर को ‘सी’ फार्म पर 0.25 प्रतिशत की रियायती दर पर किया जा रहा है। कर निर्धारण अधिकारी ने जांच पर यह माना कि प्रत्यर्थी आयरन स्क्रेप का विनिर्माता नहीं है इसलिए उक्त माल की सी फार्म समर्थित अन्तर्राज्जीय बिकी पर 2 प्रतिशत से कर देयता है। अतः उन्होंने मिथ्या एवं कूटरचित दस्तावेजों से माल का परिवहन किया जाना मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन होने से करापवचन का मामला दर्ज कर उपायुक्त(प्रशासन) अलवर के निर्देशनसार पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु स्थानान्तरित

की गई । कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त तथ्यों के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को सन्तोषप्रद नहीं मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 65,016/- की शास्ति आरोपित कर दी । उक्त शास्ति के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने अधिनियम की धारा 76(2) के अन्तर्गत विहित वांछित दस्तावेज वक्त जांच वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के कारण आरोपित शास्ति को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2013 पारित किया है । अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2013 से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त जांच वाहन में एमएस स्क्रेप लदा हुआ था, जिसका परिवहन टपूकड़ा से पलवल के लिए किया जा रहा था । परिवहनित माल से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर, उसकी जांच पर पाया गया कि सी फार्म के समर्थन में आयरन स्क्रेप का रियायती दर 0.25 प्रतिशत से बिकी की जा रही थी । उनका कथन है कि प्रत्यर्थी आयरन स्क्रेप का विनिर्माता नहीं होने के कारण सी फार्म के समर्थन पर 2 प्रतिशत की दर से आयरन का विक्रय करने का अधिकारी है जबकि उसके द्वारा सी फार्म के समर्थन पर 0.25 प्रतिशत से आयरन स्क्रेप की बिकी की गई है, इस प्रकार वक्त जांच प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मिथ्या एवं कूटरचित होने से अधिनियम की धारा 76 (2) का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 65,016/- आरोपित की है, जो पूर्णतः विधिक एवं उचित है । उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर ध्यान दिये बिना ही आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो अविधिक होने से अपास्त योग्य है । उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया ।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के द्वारा वर्ष 2012–13 की द्वितीय त्रैमासिक विवरणी वैट–10 की छाया प्रति एवं उसके द्वारा आलोच्य अवधि की द्वितीय एवं तृतीय में की गई बिकी की सूची दिनांक 09.11.2012 को प्रस्तुत की गई है, जिस पर विचार किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है, जो पूर्णतः अविधिक है । उनका कथन है कि माल परिवहन के समय अधिनियम की धारा 76 (2) के अन्तर्गत विहित वांछित सभी दस्तावेज माल के साथ थे और कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त जांच मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, जिनको किसी भी जांच से मिथ्या अथवा कूटरचित प्रमाणित नहीं किया गया है ।

22

इसी कम में उन्होंने कथन किया कि जिला उद्योग केन्द्र, भिवाड़ी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को Aluminium & Zink alloys, Ash, Waste & Residue Ferrous & Non Ferrous Metal in Scrap form, Non Metallic Scrap (dust, plastic, rubble, pvc etc), Waste Paper Scrap आदि विनिर्माता इकाई के रूप में एण्टरप्रेनर मेमोरेण्डम नम्बर 080381200535 दिनांक 06.06.2012 को जारी किया गया है तथा विभाग द्वारा भी प्रत्यर्थी व्यवहारी को आरबेट एवं सीएसटी एक्ट के तहत for use in Manufacturer or Processing of Goods for Sale: All types of Plant & Machineries used for manufacturing ferrous and non ferrous metal in all the form के रूप में पंजीयन/टिन नम्बर 08984201423 जारी किया गया है, इससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी विभाग में विनिर्माता के रूप में पंजीकृत इकाई है तथा विवादित माल उसके द्वारा विनिर्मित किया गया है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर विस्तृत विवेचन के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो पूर्णतः विधि सम्मत है। अतः उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वक्त चेकिंग एम एस स्केप सी फार्म पर 0.25 प्रतिशत की रियायती दर पर ट्यूकड़ा से पलवल के परिवहनित किया जा रहा था। कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार आयरन स्केप का विनिर्माता ही आयरन स्केप का रियायती दर पर विक्रय कर सकता है जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी आयरन स्केप का विनिर्माता नहीं है, इसलिए वक्त जांच प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मिथ्या एवं कूटरचित होने से अधिनियम की धारा 76 (2)(बी) का उल्लंघन होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है, जिसको अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर उन्होंने अपास्त किया है।

रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ अधिनियम की धारा 76 (2) के अन्तर्गत विहित वांछित सभी दस्तावेज थे, जिनको किसी भी जांच से मिथ्या अथवा कूटरचित प्रमाणित नहीं किया गया है, इसलिए आरोपित शास्ति को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत तभी शास्ति आरोपित की जा सकती है जब अधिनियम की धारा 76 (2) के अन्तर्गत विहित दस्तावेज माल के साथ नहीं हों, परन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसा नहीं है।

जहां तक प्रत्यर्थी व्यवहारी आयरन स्केप का विनिमाता होने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन आदेश में निम्न निष्कर्ष दिया है :-

“इसके अलावा रिकार्ड का परिशीलनसे यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी विभाग के साथ-साथ जिला उद्योग केन्द्र,भिवाड़ी में भी विनिर्माता इकाई के रूप में पंजीकृत है, जिसके द्वारा Aluminium &Zink alloys,Ash, Waste &Residue Ferrous &Non Ferrous Metal in Scrap form, Non Metallic Scrap (dust,plastic,rubble,pvc etc),आदि का विनिर्माण एवं विक्रय किया जाता है। उक्त सन्दर्भ में बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत किया गया यह तर्क भारयुक्त है कि विवादित मामले में परिवहनित माल ऐसे स्केप पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचयना दिनांक 14.02.2008 के प्रावधाननानुसार बिल में 0.25 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय विक्रय कर के साथ साथ 12 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क भी चार्ज किया गया है,जो उसके एक्सार्टिजेबल रजिस्टर आर. जी.-1 में दर्ज है तथा उत्पाद शुल्क माल के विनिर्माण किये जाने पर ही देय होता है ना कि माल की ट्रेडिंग किये जाने पर”।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रकरण के प्रत्येक बिन्दु पर स्पष्ट निष्कर्ष देते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 65,016/- क्रो अपास्त किया है, जिसके गलत प्रमाणित करने हेतु अपीलार्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुखदेव शर्मा)
सदस्य